किशोर न्याय समिति जांच करती है और इसे संज्ञान में लेती है

(I) पुलिस द्वारा प्रस्तुत बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि (एस०बी०आर०) की रिपोर्ट

(ii) परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच (एस०एस०आर०) रिपोर्ट

यदि छोटे अपराध के मामले में छह महीने तक जाँच का कोई निर्णय नहीं आता है, तब किशोर न्याय समिति बच्चे के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त कर देती है

जांच के बाद किशोर न्याय समिति या तो सलाह या चेतावनी के बाद बच्चे को घर जाने की अनुमति दे देती है या बच्चे की काउंसलिंग की बात करती है या बच्चे को सामुदायिक सेवा के लिए कहती है या सुधार के लिए बच्चे को 'विशेष गृह' में भेजती है, जिसकी अवधि तीन साल से अधिक की नहीं होगी|

किशोर न्याय समिति या बाल न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश में बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल है; साथ ही परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा फॉलो-अप (अनुवर्ती कार्यवाही) भी शामिल है|

जघन्य अपराध करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है और बालक को पकड़ लेती है

पुलिस न तो बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या बेड़ी पहनायेगी, न बालक को किस भी स्थिति में हवालात में रखा जाएगा और न ही बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग किया जाएगा

पुलिस

- बालक को बिना देर किये, पकडे जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा
- बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा
- बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट बनाई जायेगी

यदि बच्चा 16 वर्ष से कम उम्र का है, तो किशोर न्याय समिति जांच करती है तथा जांच के दौरान सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखती है

यदि बच्चा 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है, तो किशोर न्याय समिति 3 महीने के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करती है, जो कि एक परीक्षण नहीं है, बल्कि यह देखने के लिए एक मूल्यांकन है कि बच्चे ने अपराध 'बच्चे जैसे दिमाग' के साथ किया है अथवा 'वयस्क सामान दिमाग' के साथ

जांच के बाद, किशोर न्याय समिति (जे०जे०बी०) बच्चे को सुधार के लिए "विशेष गृह" भेज सकती है, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी

यदि अपराध 'बच्चे जैसे दिमाग' के साथ किया जाता है, तो किशोर न्याय समिति जाँच करके बच्चे को 'विशेष गृह' भेज सकती है, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

यदि अपराध 'वयस्क सामान दिमाग' के साथ किया जाता है, तो किशोर न्याय समिति मामले को जांच और परीक्षण के लिए बच्चों के न्यायालय में स्थानांतरित करती है| बच्चे को अपराध के अनुसार सजा दी जा सकती है, जो तीन साल से अधिक हो सकती है

किशोर न्याय समिति या बाल न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश में बच्चे के पुनर्वास के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना शामिल है; साथ ही परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर-सरकारी संगठन के सदस्य द्वारा फॉलो-अप (अनुवर्ती कार्यवाही) भी शामिल है

किसी भी अपराध के लिए किसी भी बच्चे को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता और आजीवन कारावास देने की स्थिति में भी रिहाई की संभावना बनी रहेगी|

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

☎ **1800-102-7222** (Toll-Free)

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

किशोर न्याय (बच्चों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

(सी०सी०एल०)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सी०सी०एल०)

- 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा, जो अपराध करता है
- 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, जो किशोर न्याय समिति द्वारा अपराध करता पाया जाता है

बच्चे द्वारा किये गए अपराधों के प्रकार

छोटे अपराध	घोर अपराध	जघन्य अपराध
छोटे अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन वर्ष तक के कारावास का है	घोर अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है	जघन्य अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है
उदाहरण **नुकसान, धोखा, चोरी**	**उदाहरण** **यौन उत्पीडन, एक अपराधी को शरण देना**	**उदाहरण** **डकैती, हत्या, बलात्कार**

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए संस्थान

विशेष किशोर पुलिस इकाई

- हर जिले में गठित की जाती है
- इसकी अध्यक्षता उप-पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाती है
- जिले के हर पुलिस स्टेशन से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाता है।
- दो समाज सेवकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

किशोर न्याय समिति

- प्रधान मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है
- दो सदस्य हैं, जिनमें एक महिला है

संप्रेक्षण गृह (ऑब्जरवेशन होम)

हर जिले या जिलों के समूह में किशोरों के लिए संप्रेक्षण गृह, जहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को किशोर न्याय समिति के आदेशों से उनकी जाँच लंबित रहने/जमानत होने, जाँच पूरी होने तक अस्थाई रूप से रखा जाता है

विशेष गृह (स्पेशल होम)

अपराध करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए किशोर न्याय बोर्ड द्वारा हर जिले या जिलों के समूह में विशेष गृहों का प्रावधान, जहाँ 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक उन्हें रखा जाता है

सुरक्षित स्थान (प्लेस ऑफ़ सेफ्टी)

16-18 वर्ष की आयु के उन बच्चों के लिए हर राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना, जो जघन्य अपराध करने के आरोपी या दोषी हैं तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, जिन्होने तब अपराध किया था, जब वे बच्चे थे

किशोर न्याय समिति की शक्तियां

किसी भी जिले के लिए किशोर न्याय समिति (जे०जे०बी०) का गठन किया जाता है। जे०जे०बी० के पास इस अधिनियम के तहत उन सभी कार्यवाहियों से विशेष रूप से निपटने की शक्ति होगी; जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित हैं तथा किशोर न्याय समिति (जे०जे०बी०) के क्षेत्राधिकार में है

किशोर न्याय समिति के प्रमुख कार्य

- ➢ बालक को पकड़ने, उसकी जाँच, देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बालक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- ➢ कानूनी सेवा संस्थानों के माध्यम से बालक के लिए कानूनी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ➢ यदि बालक कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को समझने में विफल रहता है, तो उसे दुभाषिया या अनुवादक उपलब्ध कराना
- ➢ सामाजिक जाँच शुरू करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी (प्रोबेशन ऑफिसर) या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देश देना, ताकि पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके
- ➢ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जिन आवासों में रहते हैं, उन संस्थानों का हर महीने कम से कम एक बार निरीक्षण करना और सुधार के लिए कार्यवाही की सिफारिश करना
- ➢ किसी बच्चे के खिलाफ होने वाले अपराध के लिए एफ०आई०आर० (प्राथमिकी) दर्ज करने हेतु पुलिस को आदेश देना
- ➢ वयस्कों के जेलों का नियमित निरीक्षण करना, यह जांचने के लिए कि क्या किसी बालक को ऐसी जेल में रखा गया है। यदि कोई ऐसा बालक है, तो उसे प्रेक्षण गृह (ऑब्जरवेशन होम) में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल उपाय करना

छोटे या घोर अपराध करने वाले बालक के सम्बन्ध में प्रक्रिया

पुलिस द्वारा साधारण दैनिक डायरी में मामला दर्ज करना

पुलिस न तो बच्चे को गिरफ्तार कर सकती है, न हथकड़ी लगा सकती है, न हवालात में रख सकती है, न जेल में डाल सकती है और न ही अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए बालक पर किसी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग कर सकती है।

पुलिस सूचना

- बालक के माता-पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को गिरफ्तार किया गया है तथा साथ ही उस किशोर न्याय समिति का पता बताया जाएगा, जिसके सामने बालक को प्रस्तुत किया जाना है और साथ ही माता-पिता या संरक्षक को भी समिति के सामने प्रस्तुत होना है
- बालक को पकडे जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के साथ किशोर न्याय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा